प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.09.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 31.08.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गयाए जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गयाए जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.कच्ची शराब के विरूध्द अभियान:-

दिनांक 16.08.2020 से कच्ची शराब के विरूद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 31.08.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 04 व्यक्तियों के कब्जे से कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया एवं काफी मात्रा में लहन नष्ट किया गया। अभियान जारी है।

02.थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा एक अदद वाहन ट्रक से 25 राशि गोवंशीय पशु के साथ चार अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 31.08.2020 को थानाध्यक्ष भाटपार रानी मय टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर फुलवरीया चौराहा के पास से 01 अदद ट्रक नं0 यूपी-53, डीटी-2685 से 15 राशि गाय, 05 राशि बछडा, 05 राशि बछिया पशु लदे हुए पकड़े गये। बरामद पशुओं व वाहन को कब्जे में लेते दो व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.रविन्द्र यादव पुत्र स्व0 हीरालाल 02.दवन यादव पुत्र चन्द्रभान सा0 थुनही बाजार थाना झंगहा गोरखपुर उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा 3/5ए /8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03.थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध 50 गोली एलप्रासेफ व 58 गोली अलप्रेकस नशीली गोली के साथ 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया:- दिनांक-31.08.2020 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखविरकी सूचना पर कचहरी के पास पी.डब्लू. डी ऑफिस रामनाथ देवरिया से एक व्यक्तियों को पकड़ा गया जिसके द्वारा अपना नाम पता 01.विक्रम पुत्र स्व0 सुबाष सा0 मोतीपुर कस्बा थाना मोतीपुर, मुजफ्फरपुर बिहार बताया गया, पकड़े गए व्यक्ति के पास से 50 गोली एलप्रासेफ व 58 गोली अलप्रेकस नशीली गोली बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद 50 गोली एलप्रासेफ व 58 गोली अलप्रेकस नशीली गोली को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

04. 02 अपराधियों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक खामपार द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01.अखिलेश कुशवाहा पुत्र रामेश्वर कुशवाहा सा0 परगसहा थाना खामपार, देवरिया। 02.सत्येन्द्र कुमार उर्फ शैलेन्द्र कुमार कुशवाहा सा0 खरौनी टोला थाना मीरगंज गोपालगंज बिहार उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

05. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 31.08.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 15 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

06. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 31.08.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 339 वाहनों से 306500 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।